

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
बी.ए. संख्या 88/2020

किशोर मंडा

... याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य

.....विपक्षी पार्टी

कोरम: माननीय न्यायाधीश श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्ता के लिए: श्री रोहन मजूमदार, अधिवक्ता

राज्य के लिए: श्री राकेश कुमार नंबर 2, एपीपी

02/15. 01. 2020 श्री रोहन मजूमदार, याचिकाकर्ता के लिए विद्वत अधिवक्ता और श्री राकेश कुमार नंबर 2, राज्य के लिए विद्वत एपीपी को सुना।

याचिकाकर्ता पिपरवार पीएस केस नंबर 34/2019 के संबंध में एक आरोपी है।

बदमाश, सूचक के वर्कसाइट पर आए थे और लेवी की मांग की थी जिसे सूचक ने

मना कर दिया था।

आरोप लगाया गया है कि अगले दिन तीन लड़के आए और मुंशी के साथ मारपीट

की और गोली चलाकर भाग गए।

ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता को अपने स्वीकारोक्ति के साथ-साथ अन्य सह-

अभियुक्त व्यक्तियों के स्वीकारोक्ति पर भी फंसाया गया है। याचिकाकर्ता 24.08.2019 से हिरासत में है।

उपरोक्त के संबंध में, उपरोक्त नाम के याचिकाकर्ता को 10,000/- (केवल दस हजार रुपये) के बंधपत्र एवंसमान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, विद्वान अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, चतरा के संतुष्टि पर, पिपरवार थाना कांड संख्या 34/2019 के संबंध में जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

(आर. मुखोपाध्याय, जे)

आलोक/-